सत्यमेव जयते

भारत सरकार

**GOVERNMENT OF INDIA**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

की

2026-27 के लिए

आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क

# OUTPUT-OUTCOME MONITORING FRAMEWORK

**OF**

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION**

**FOR**

**2026-27**

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधारों (स्मार्ट पीडीएस) के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम

| वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) | निर्गत 2026-27 | | | परिणाम 2026-27 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | निर्गत | निर्गत संकेतक | लक्ष्य 2026-27 | परिणाम | परिणाम संकेतक | लक्ष्य 2026-27 |
| मार्च, 2026 के बाद संभावित विस्तार के लिए वर्तमान में इस योजना की समीक्षा की जा रही है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट इस स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। | 1. स्मार्ट-पीडीएस का कार्यान्वयन। संपूर्ण प्रणाली का अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन। | 1.1 अंचलवार कार्यान्वयन (संख्या में) | 9 | 1. मार्च, 2026 तक 36 राज्यों में इसके कार्यान्वयन की शुरूआत | 1.1 राज्यों में स्मार्ट पीडीएस का परिनियोजन (संख्या में) | पहली तिमाही: 36<br>दूसरी तिमाही: 0<br>तीसरी तिमाही: 0<br>चौथी तिमाही: 0 |
| | 2. लाभार्थियों की बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देते हुए आधार-प्रमाणित खाद्यान्न वितरण, वर्तमान में यह कवरेज 97% है। | 2.1 आधार प्रमाणित वितरण में वृद्धि (प्रतिशत में)<br><br>99% से अधिक | पहली तिमाही – 0.5<br>दूसरी तिमाही - 1<br>तीसरी तिमाही – शून्य<br>चौथी तिमाही – शून्य | 2. खाद्यान्न के लीकेज को कम करना और यह सुनिश्चित करना कि खाद्यान्न लक्षित आबादी तक पहुंचे, जिससे सटीकता और पारदर्शिता में सुधार हो। | 2.1 अनधिकृत या डुप्लिकेट वितरण के मामलों में कमी। (प्रतिशत में)<br><br>2.2 वितरण दक्षता में सुधार। (प्रतिशत में) | 100<br><br>पहली तिमाही –0.25%<br>दूसरी तिमाही - 0.25%<br>तीसरी तिमाही - 0.25%<br>चौथी तिमाही - 0.25% |
| | | 2.2 प्रमाणित लेन-देन के माध्यम से वितरित खाद्यान्न की मात्रा (लाख टन में) | पहली तिमाही –121.29<br>दूसरी तिमाही –121.17<br>तीसरी तिमाही –121.30<br>चौथी तिमाही –121.54 | | | |

| | निर्गत 2026-27 | | | परिणाम 2026-27 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) | निर्गत | निर्गत संकेतक | लक्ष्य 2026-27 | परिणाम | परिणाम संकेतक | लक्ष्य 2026-27 |
| | 3. एनएफएसए लाभार्थियों का उचित लक्ष्यीकरण। | 3.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पारिस्थितिकी तंत्र में अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई/निष्कासन (प्रतिशत में)<br><br>चिह्नित लाभार्थी: 8.51 करोड़<br><br>लक्ष्य कार्रवाई (निष्कासन और पात्र पाए गए लाभार्थी): 100% | पहली तिमाही : 60%<br>दूसरी तिमाही : 15%<br>तीसरी तिमाही : 15%<br>चौथी तिमाही : 10% | 3. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा परिभाषित समावेशन/बहिष्करण मानदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करना। | 3.1 चिह्नित लाभार्थियों पर की गई कार्रवाई (प्रतिशत में) | 100 |